न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– मुक्तानन्द अग्रवाल, I.A.S.

प्रकरण संख्या –43/2016 (अपील)

श्रीमति कृष्णा पत्नि श्री रमेश, जाति बलाई निवासी ग्राम नान्ता, तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)

––अपीलाण्ट.

बनाम

1. धनराज आत्मज स्व0 श्री मूलचंद
2. रामकुमार आत्मज स्व0 मूलचन्द
3. सीता बाई पुत्री स्व0 श्री मूलचंद
4. रामनाथी बाई बेवा श्री मूलचंद
5. कालूलाल आत्मज श्री औंकार
   जाति बलाई, निवासीगण ग्राम नान्ता, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)
6. राहुल पुत्र श्री पंकज माता कमलेश नाबालिग जरिये वली पिता पंकज
7. ज्योति पुत्री श्री पंकज माता कमलेश नाबालिग जरिये वली पिता पंकज
   निवासीगण नयापुरा अलपुरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

–––रेस्पोडेन्ट.

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व तहसीलदार लाडपुरा इंतकाल आदेश संख्या 503 दिनांक 31.03.2007 ग्राम नान्ता तह0 लाडपुरा

उस्थिति

1. श्री चन्द्रमोहन वर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक– 20.06.019

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा आदेश दिनांक 31.03.2007 को नामान्तरकरण संख्या 503 ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा स्वीकार किया गया ।

2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 27.3.2016 को पेश कर कथन किया है कि अपीलांट के पति रमेश पुत्र औंकार की अन्य सह खातेदारान मूलचंद, रेस्पोडेन्ट कम–5 कालूलाल व अपनी माता मुसम्मात भरोसी बाई के साथ शामलाती गैर खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी खसरा नम्बर 50 की रकबा 1.27 हे0, खसरा नम्बर 150 की रकबा 2.05 हे0, खसरा नम्बर 151 की रकबा 0.48 हे0, खसरा नम्बर 163 की रकबा 0.91 हे0, खसरा नम्बर 1192 की रकबा 0.60 हे0 कुल 5 किता रकबा 5.31 हे0 व शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी खसरा नम्बर 1193 की रकबा 0.11 हे0 खसरा नम्बर 1272 की रकबा 0.11 हे0 खसरा नम्बर 1273 की रकबा 0.01 हे0, खसरा नम्बर 1274 की रकबा 0.02 हे0 खसरा नम्बर 1291 की 0.22 हे0 खसरा नम्बर 1297 की रकबा 0.12 हे0 खसरा नम्बर 1298 की रकबा 0.11 हे0 वाके ग्राम नान्ता पटवार हल्का नान्ता, में स्थित रही है

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

। अपीलांट के पति रमेश का उक्त शामलाती खातेदारी व गैर खातेदारी वाली कृषि आराजी में 1/4 हिस्सा निहित रहा है । अपीलांट रमेश की पत्नि है, रमेश का देहान्त हो चुका है और उसके देहान्त के पश्चात उसकी एकमात्र प्राकृतिक वारिस व उत्तराधिकारी उसकी पत्नि अपीलांट है । मूलचंद का भी देहावसान हो चुका है । उसके वारिस व उत्तराधिकारी रेस्पोडेन्ट कम–1 लगायत 4 व पुत्री कमलेश है । कमलेश का भी देहान्त हो चुका है, जिसके वारिस व उत्तराधिकारी रेस्पोडेन्ट कम–6 व 7 है । भरोसी बाई का भी देहान्त हो चुका है । भरोसी बाई के वारिस व उत्तराधिकारी अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स । अपीलांट रमेश की विवाहिता पत्नि है और रमेश के देहान्त के पश्चात उसकी शामलाती खातेदारी व गैर खातेदारी की कब्जे काश्त की उक्त 1/4 हिस्सा आराजी कानूनन उसकी प्रथम श्रेणी की वारिस व उत्तराधिकारी अपीलांट को प्राप्त हुई है । जिसके कारण राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों पर यह विधिक दायित्व था कि वह उक्त गैर खातेदारी वाली कृषि आराजी के सम्बन्ध में रमेश का फौती इंतकाल तस्दीक करने से पूर्व रमेश की वारिस व उत्तराधिकारियों की भली भांति जांच करते, किंतु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय के पटवारी हल्का व कर्मचारियों ने रेस्पोडेन्ट के पिता मूलचंद व कालूलाल से मिलीभगत करते हुये रमेश की प्रथम श्रेणी की वारिस व उसकी पत्नि अपीलांट के मौजूद होने के बावजूद मनमर्जी पूर्वक यह अंकित किया कि रमेश के कोई पुत्र–पुत्री व पत्नि नहीं है । रमेश का फौती इंतकाल रेस्पोडेन्ट के नाम तस्दीक करने में गम्भीर कानूनी त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के इंतकाल आदेश संख्या 503 जैर अपील आदेश दिनांक 31.3.2007 को निरस्त फरमाया जाकर उक्त गैर खातेदारी व खातेदारी वाली कृषि आराजी में रमेश की हिस्सा आराजी पर रमेश का फौती इंतकाल अपीलांट के नाम तस्दीक किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । वकील अपीलान्ट व वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर लिखित बहस को ही अंतिम बहस मानने का कथन किया गया ।

4. वकील अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि रमेश पुत्र औंकार की अन्य सह खातेदारान मूलचंद, रेस्पोडेन्ट कम–5 कालूलाल व अपनी माता मुसम्मात भरोसी बाई के साथ शामलाती गैर खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी खसरा नम्बर 50 की रकबा 1.27 हे0, खसरा नम्बर 150 की रकबा 2.05 हे0, खसरा नम्बर 151 की रकबा 0.48 हे0, खसरा नम्बर 163 की रकबा 0.91 हे0, खसरा नम्बर 1192 की रकबा 0.60 हे0 कुल 5 किता रकबा 5.31 हे0 व शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी खसरा नम्बर 1193 की रकबा 0.11 हे0 खसरा नम्बर 1272 की रकबा 0.11 हे0 खसरा नम्बर 1273 की रकबा 0.01 हे0, खसरा नम्बर 1274 की रकबा 0.02 हे0 खसरा नम्बर 1291 की 0.22 हे0 खसरा नम्बर 1297 की रकबा 0.12 हे0 खसरा नम्बर 1298 की रकबा 0.11 हे0 कुल 7 किता रकबा 0.700 हे0 वाके ग्राम नान्ता पटवार हल्का नान्ता में स्थित रही है । अपीलांट के पति रमेश का उक्त शामलाती खातेदारी व गैर खातेदारी वाली कृषि आराजी में 1/4 हिस्सा निहित रहा है । अपीलांट रमेश की पत्नि है, रमेश का देहान्त हो चुका है और उसके देहान्त के पश्चात उसकी एकमात्र प्राकृतिक वारिस व उत्तराधिकारी उसकी पत्नि अपीलांट है । किंतु रमेश के कोई भी वारिस न होना बताकर उक्त गैर खातेदारी वाली पांच किता की रकबा 5.31 हे0 का इंतकाल संख्या 503 दिनांक 31.3.2007 को गलत रूप से अपने नाम तस्दीक करवा लिया है, जो पूर्णतया गलत व गैर कानूनी है । अपीलांट रमेश की विवाहिता पत्नि है । अपीलांट

जिला कलेक्टर
जोधपुर

Scanned by CamScanner

का उसके पति के साथ तत्समय की वोटर लिस्ट, राशन कार्ड आदि में नाम दर्ज रहा है, कानूनन विधवा के अपने मृत पति की सम्पत्ति में पूर्ण अधिकार होते है और पति की मृत्यु के पश्चात वह अपने पति की विरासती सम्पत्ति पर अनन्य स्वामिनी बन जाती है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14,24 व धारा 4 पर न्यायिक दृष्टान्त RLW2008(2) रेवेन्यू जजमेन्ट पेज 926 पर यही सिद्वांत प्रतिपादित किया है । कानूनन फौती इंतकाल तस्दीक किये जाने से पूर्व मृतक के वारिसान को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है, किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक रमेश का फौती इंतकाल तस्दीक किये जाने से पूर्व उसकी पत्नि अपीलांट को सूचना व सुनवाई का कोई भी अवसर नहीं दिया गया है, जिसके कारण भी उक्त फौती इंतकाल संख्या 503 प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत के विरूद्व तस्दीक होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अपीलांट को उक्त इंतकाल की जानकारी अभी दिनांक 15.2.2016 को पटवारी हल्का से मिलने पर हुई जिस पर नकल प्राप्त कर जानकारी दिनांक से अपील अवधि मध्य पेश की गई है । अपीलांट द्वारा विलम्ब के शमन हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलांटं द्वारा प्रस्तुत तथ्य पूर्णतया सद्भाविक है और उक्त विलम्ब क्षम्य किया जाकर अपील अवधि मध्य मानी जाकर गुणावगुणपर निर्णित किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के इंतकाल आदेश संख्या 503 जैर अपील आदेश दिनांक 31.3.2007 को निरस्त फरमाया जाकर उक्त गैर खातेदारी व खातेदारी वाली कृषि आराजी में मृतक रमेश की हिस्सा आराजी पर मृतक रमेश का फौती इंतकाल अपीलांट के नाम तस्दीक किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।

5. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में असत्य निराधार तथ्य वर्णित किये है जो स्वीकार नहीं है । अपीलाधीन इन्तकाल नं0 503 दिनांक 31.3.2007 सही व सत्य तस्दीक किया है । भू धारक द्वारा विधिक रूप से जांच पडताल कर तस्दीक किया है, जिसमें वर्णित खातेदारान द्वारा आज तक कोई आपत्ति उक्त इन्तकाल के बाबत नहीं की है । अपीलांट मृतक रमेश की पत्नि हो, ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं है और वेसे भी उत्तराधिकारी होने के सम्बन्ध में सुनवाई का अधिकार नियमित वाद में साक्ष्य के बाद ही निस्तारण होने से अपील सारहीन है । वर्णित आराजी से अपीलान्ट का कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है और ना कभी कब्जा ही रहा है । इन्तकाल की कार्यवाही मात्र वित्तीय उद्देश्य के लिए होती है जिसमें अधिकारों का निस्तारण नहीं होता है । अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर है । अपीलान्ट ने पटवारी को जानकारी होना बताया है, जिसका शपथ पत्र पेश नहीं किया है । मियाद का सद्भाविक कारण नहीं होने से प्रार्थना का मियाद खारिज होने योग्य है । अपीलान्ट रमेश की पत्नि नहीं है । वर्तमान में अपीलान्ट नान्ता में निवास नहीं करती है । ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिसमें अपीलान्ट का नान्ता की निवासनी साबित करता हो । अपीलान्ट का आधार कार्ड मंगवाया जाने पर अपीलान्ट कहां की निवासी है तथा पति कौन है स्वयं स्पष्ट हो जायेगा । अपीलान्ट ने वर्णित आराजी के वर्तमान खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है, इस कारण अपील खारिज की जावें । अपीलान्ट के सन्तान है जिन्हें भी पक्षकार नहीं बनाया गया है । अपील में नाबालिक रेस्पो0 को प्रोपर तामिल नहीं हुई है तथा नाबालिक रेस्पो0 के हितों को सुरक्षित रखा जाना न्यायहित में आवश्यक है । रेस्पो0 काबिज काश्त है तथा कृषि कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे है । अपीलान्ट का कोई

जिला कलेक्टर
झोद

Scanned by CamScanner

स्वत्व नहीं है । वर्णित इन्तकाल के बाद अन्य इन्तकाल भी तस्दीक हुए है उन बाद के इन्तकालों के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा जानकारी पर भी कोई कार्यवाही नही करने से अपील सारहीन है । अतः अपीलान्ट की अपील सव्यय खारिज की जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 27.3.2016 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है । लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के खण्डन में कोई न्यायिक दृष्टान्त या उद्वरण पेश नहीं किया है, जिससे अपील मियाद बाहर मानी जाए । अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब जानकारी के अभाव में हुआं है, अपीलाधीन नामान्तकरण की प्रथम जानकारी 15.2.2016 से अपील पेश करने की दिनांक का समय क्षम्य योग्य होने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कन्डोन करते हुए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

7. अपीलांट द्वारा ग्राम नान्ता के नामान्तकरण संख्या 503 दिनांक 31.03.2007 को चुनोती दी गई है । उक्त नामांतकरण सहखतेदार रमेश की मृत्यु होने पर फौती इन्तकाल खोला गया है जिसमें रमेश के कोई वारिस नहीं होना बताया है किन्तु अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज वर्ष 1998 की वोटरलिट अनुसार अपीलांट रमेश की पत्नि होने से रमेश की विधिक वारिस होना पाया जाता हे, तथा वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त RLW2008(2) रेवेन्यू जजमेन्ट पेज 926 से 929 पर प्रतिपादित सिद्वान्त अनुसार पति की सम्पत्ति में पत्नि का कानूनी अधिकार है ।

8. अतः उक्त विवेचनानुसार हम यह पाते है कि अपीलान्ट कृष्णा रमेश की पत्नि होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत रमेश की सम्पत्ति में विधिक अधिकार रखती है । अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण संख्या 503 दिनांक 31.03.2007 खारिज किया जाता है, तथा तहसीलदार लाडपुरा को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह रमेश के विधिक वारिसान की पुनः जांच कर सुनवाई करते हुए नवीन आदेश पारित करें

9. निर्णय आज दिनांक 20.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला कलक्टर कोटा

Scanned by CamScanner